

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अखण्डादालत उपखण्ड अधिकारी अराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• रामदेव पुत्र स्व. छीतर जाति बैरवा निवासी उम्र 75 साल निवासी मुण्डोती तहसील अराई जिला अजमेर राज. ।
-प्रार्थी

बनाम

• रामधन पुत्र स्व. बंशी जाति बैरवा आयु 55 साल निवासी ग्राम मुण्डोती तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य
-अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 212 राज0 का0 अधि0 1955

दर्ज क्रमांक 93 / 2024

ऑनलाइन नंबर 28221/160

वकील प्रार्थी :- गणेश बावरी

वकील अप्रार्थीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10/10/24	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री गणेश बावरी ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 05/10/24 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी अराई</p>	
05/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील श्री गणेश बावरी द्वारा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 10/10/24 को पेश हो</p>	
10/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील श्री गणेश बावरी द्वारा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 29/10/24 को पेश हो</p>	<p>रामधन</p>

